न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

प्रकीर्ण वाद संख्या – 620/2026
नेहा बनाम पप्पू
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण
दिनांक–18.07.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र आवेदक द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध दिया गया है। आवेदक के प्रार्थनापत्र को चालित करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है प्रार्थिनी के गांव में पप्पू के दरवाजे पर एक बिधुत का पोल लगा था जिसे कोई चुरा ले गया था जिसके सम्बन्ध में पूछने पर दिनेश से बिद्युत कर्मी ने पप्पू को बुलाने को कहा जैसे ही दिनेश, पप्पू को बुलाने गया बैसे ही पप्पू मेरे जेठ दिनेश के साथ गाली गलौज कर मार पीट करने लगा। दिनेश किसी तरह जान बचाकर घर पर भाग आये दि०–4–6–2026 को सुबह 9:00 बजे मै घर पर थी कि उसी समय पप्पू आदि अपने अपने हाथो मे लाठी डण्डा व धारदार हथियार लेकर दरवाजे पर आये और मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। मैं जान बचाकर अपने घर में घुस गयी पीछे से सभी लोग घर मे घुस आये और आंगन्त मे गिराकर जान से मारने की नियत से बुरी तरह मारने पीटने लगे। शोर गुंल पर मेरे पति व जेठ व भतीजा बचाने आया तो उसे भी बुरी तरह से लाठी डण्डो व हंसिया से मारा पीटा जिससे मेरे व परिवार वालो के शरीर पर तमाम चोटे आयी। इस पर आवेदक ने थाना पर एक प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब आवेदक ने एक प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

संबधित थाने की आख्या के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में कोई अभियोग थाना हाजा में पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य संज्ञान में आता है कि आवेदिका को मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की भली–भांति जानकारी है, जिसकी पुष्टि आवेदिका एवं उसके गवाहान का बयान न्यायालय में अंकित करके की जा सकती है। विवेचना से किसी नये तथ्य की खोज नहीं करनी है। प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि विधि दृष्टांत एस०सी०आर० जेसेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरानन्द एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी एवं अन्य 2001 (2), पेज 320 एस०सी० एवं सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य, ए०सी०सी० 2007(59) पेज 739 में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में प्रस्तुत मामला परिवाद के रूप में दर्ज करना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रार्थनापत्र, परिवाद के रूप में आज ही पंजीकृत हो।

पत्रावली लंचबाद वास्ते साक्ष्य परिवादी अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश हो।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।
जे०ओ० कोड–UP1943

पुनः

पत्रावली पुनः लंचबाद पेश हुई । परिवादी अनुपस्थित ।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी अंतर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 18.09.2026 को पेश हो।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।
जे०ओ० कोड–UP1943

Digitally signed by RAJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.24 12:48:07 IST
Reason: order
Location: CJM Court, Kannauj